

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप-2)

क्रमांक: प.11(1)विधि/2/2021

जयपुर, दिनांक: 16 AUG 2021

परिपत्र

विषय:—पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा के षष्ठम् सत्र की आगामी बैठकों में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा के षष्ठम् सत्र की आगामी बैठकें गुरुवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ होने जा रही हैं। अतः सचिवालय के समस्त प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि ऐसे विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव हो, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैनुअल, 1999 के नियम 55 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लें। मंत्रिमण्डलीय आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर पुरःस्थापन किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मय उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा यथा-आवश्यक वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन के प्रारूपों की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रतियां (सॉफ्ट प्रति सहित) संलग्न कर संबंधित विधेयक प्रस्ताव दिनांक 23.08.2021 तक विधि (ग्रुप-2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें विधान सभा की आगामी बैठकों में पुरःस्थापित कराये जाने की कार्यवाही समय पर किया जाना सम्भव हो सके।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

डा।
16.8.2021

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग/ग्रुप/प्रकोष्ठ।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव 16.8.2021